DHAMPUR
Legacy for tomorrow

29.07.2025

To,
The Manager - Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051
Tel No. 022-2659 8237 /38
Symbol: DHAMPURSUG

The General Manager – DSC
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001
Tel No.022-22722039/37/3121
Security Code: 500119

Dear Sir,

Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement

Please find enclosed the copies of Business Standard (English and Hindi Edition) published today pertaining to special window for re-lodgment of transfer requests of physical shares. The advertisement copies will also be made available on the Company's website at the following web link: www.dhampursugar.com.

You are requested to take the information on record.

Thanking you,
Yours Faithfully,
For Dhampur Sugar Mills Limited

APARNA GOEL
Digitally signed by APARNA GOEL
Date: 2025.07.29 13:27:00 +05'30'

Aparna Goel
Company Secretary
M. No.- 22787

पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1995PLC073281
पंजीकृत कार्यालय : 54, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेस–III, नई दिल्ली–110020
कॉरपोरेट कार्यालय : बी–206ए, सेक्टर–81, फेस–II, नोएडा–201305, उत्तर प्रदेश
फोन : +91-120- 4093901
वैबसाइट : www.ppapco.in, ई–मेल आईडी : investorservice@ppapco.com

कंपनी के शेयरधारकों को नोटिस

विषयः निवेशक शिक्षण और बचाव कोष (''आईईपीएफ'') में इक्विटी शेयरों का अनिवार्य अंतरण

एतद्द्वारा निवेशक शिक्षण और बचाव कोष प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षण, हस्तांतरण और रिफंड) नियमावली, 2016 (''**नियमावली**'') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधान अनुसरण में सूचित किया जाता है कि लगातार सात या अधिक वर्षों के लिए अभुक्त या अदावित लाभांश वाले सभी शेयर कंपनी को आईईपीएफ के नाम में अंतरित करने हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए शेयर और दावा न किए गए अंतिम लाभांश को आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाना है। विस्तृत जानकारी कंपनी की वैबसाइट https://www.ppapco.in/financials#unpaid_and_unclaimed_dividend. पर उपलब्ध है।

कंपनी उन सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत नोटिस भेज रही हैं, जिनके शेयर अदावित लाभांश आईईपीएफ में अंतरित किए जाने के लिए संभाव्य हैं।

अभुक्त लाभांश का दावा रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाईट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी–1 ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, फोन नं.: 011-41410592, ई–मेलः iepf.shares@in.mpms.mufg.com को पत्र भेजकर 22 सितंबर, 2025 या इससे पूर्व प्राप्त किया जा सकता है।

नियमों के अनुसरण में आईईपीएफ में अंतरित शेयरों और अदावित लाभांश के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं बनेगा। हालांकि, संबंधित शेयरधारक प्रक्रिया का अनुपालन कर और नियमावली के तहत यथानिर्धारित दस्तावेज़ों को जमा कर आईईपीएफ में अंतरित शेयर और अदावित लाभांश की वापसी का दावा कर सकते हैं।

कृते पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड
हस्ता/–
पंखुरी अग्रवाल
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थान : नोएडा
दिनांक : 28 जुलाई, 2025

HDFC BANK
We understand your world

विशेष प्रचालनों के लिए विभागः
एचडीएफसी बैंक लि., भूतल, गुलाब भवन, 6,
बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली–110002

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग सूचना दिनांकित **10 जुलाई 2024** जारी की थी जिसमें **कर्जदार(ओं) मैसर्स बाबा आयरन स्क्रैप कंपनी (कर्जदार) अपने प्रॉपराईटर सुश्री रीता गोयल के माध्यम से (प्रॉपराईटर/बंधककर्ता(ओं)/जमानती(ओं)** से मांग सूचना में उल्लिखित दिनांक **16.04.2025** को राशि **रु. 1,85,38,777.71/– (रुपये एक करोड़ पिचासी लाख अड़तीस हजार सात सौ सतहत्तर और इकहत्तर पैसा मात्र)** और इस पर **17.04.2025** से प्रभावी भविष्य की ब्याज और प्रभारों सहित उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया। कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं)/बंधककर्ता(ओं) और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **25 जुलाई 2025 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश** में कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं)/बंधककर्ता(ओं) और सर्व जनों को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन आपके द्वारा देय दिनांक **16.04.2025** को राशि **रु. 1,85,38,777.71/– (रुपये एक करोड़ पिचासी लाख अड़तीस हजार सात सौ सतहत्तर और इकहत्तर पैसा मात्र) और इस पर 17.04.2025** से प्रभावी ब्याज और इस पर भविष्य ब्याज व प्रभारों की व्ययों एवं प्रभारों आदि के लिए एचडीएफसी बैंक लि. के प्रभार के अधीन होगा। उपलब्ध समय के संबंध में प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति का विवरण	स्वामित्व
वाणिज्यिक संपत्ति क्रमांक खसरा नंबर 1822, गाँव सरजू चुंगी (औद्योगिक क्षेत्र के रूप में ज्ञात) मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश–251001 (क्षेत्रफल 1 बीघा 13 बिस्वे 12 बिस्वांसी का 1/5 भाग = 0.0682 हेक्टेयर या 682 वर्ग मीटर) विक्रय पत्र क्रमांक 3825 दिनांक 16.09.1989 के अनुसार और (क्षेत्रफल 1 बीघा 13 बिस्वे 12 बिस्वांसी का 2/5 भाग = 0.1364 हेक्टेयर या 1364 वर्ग मीटर) विक्रय पत्र संख्या 13105 दिनांक 28.11.1985 के अनुसार, कुल माप 2046 वर्ग मीटर तथा सीमाएँ: पूर्वः आर्यन स्टील, पश्चिमः रोड, उत्तरः सोमनाथ का गोदाम, हरबंस लाल आर्यन स्टोर, दक्षिणः छोटा स्क्रैब ट्रेडर्स का गोदाम	श्री रमानंद गोयल पुत्र श्री सालीग्राम गोयल

नोटः उपर्युक्त नोटिस को अधिनियम के नियम 6, 8 और 9 के तहत बिक्री के लिए 30 दिनी नोटिस भी माना जाए।

स्थानः मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश
दिनांकः 25.07.2025
प्राधिकृत अधिकारी,
एचडीएफसी बैंक लि.

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
[कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरण हेतु समाचारपत्र में विज्ञापन का प्रकाशन

केंद्रीय सरकार के समक्ष
(क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के अनुच्छेद (ए) के मामले में

तथा

ज्योति ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय यूनिट सं. 1002, दसवीं मंजिल, डीएलएफ सिटी कोर्ट, एम.जी. रोड, डीएलएफ क्यूई, गुड़गाँव हरियाणा 122002 भारत के मामले में

(....याचिकाकर्ता)

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "हरियाणा राज्य" से "केन्द्र शासित दिल्ली" में स्थानांतरित करने हेतु कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 25 जुलाई, 2025 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के मद्देनजर कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव के पुष्टीकरण की मांग करते हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन दायर करने जा रही है। कोई भी व्यक्ति जिनका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित हो सकता है, वे अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के अंदर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भर कर अथवा उसके कारणों को प्रेषित कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, पता बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष दर्ज कर सकते हैं साथ में हित की प्रकृति एवं विरोध के कारण, यदि कोई है, का उल्लेख करें एवं उसे हलफनामा द्वारा समर्थित कर भेजें तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पास उसके ऊपर उल्लेखित पते पर स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेजें:-

आवेदक श्री दीपक अग्रवाला
के लिए तथा उनकी ओर से
दिनांक-29-07-2025 **डीआईएन-00051443**
स्थान-गुड़गाँव, हरियाणा **पूर्णकालिक निदेशक**

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	**कर्ज खाता क्र. HLAPBRL00448040** 1. रजनी सिंह (सह–उधारकर्ता, स्वर्गीय विनोद पाल सिंह की पत्नी और कानूनी उत्तराधिकारी) 2. सनी प्रताप सिंह (सह–उधारकर्ता, स्वर्गीय विनोद पाल सिंह का पुत्र और कानूनी उत्तराधिकारी) 3. विपिन कुमार सिंह (गारंटर) (सह–उधारकर्ता, स्वर्गीय विनोद पाल सिंह का पुत्र और कानूनी उत्तराधिकारी)	मकान नंबर 66 एच, क्षेत्रफल 167.07 वर्ग मीटर, भूमि बेअरिंग (खसरा नंबर 391 का भाग) पर स्थित है, वैभव सनसिटी विस्तार, बिहारमान नगला, बरेली – 243001 उत्तर प्रदेश।	12.05.2021	रु. 29,18,721.56/- (रुपए उनतीस लाख अठारह हजार सात सौ इक्कीस और छप्पन पैसे मात्र) 11.06.2025 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चो, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

कृते एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
(एआरसीआईएल–सीपीएस–IV–ट्रस्ट के ट्रस्टी)
प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : बरेली

DHAMPUR
Legacy for tomorrow

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः धामपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर–246761, यु.पी
कॉर्पो कार्यालयः 6वीं मंजिल, मैक्स हाउस, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज III, नई दिल्ली–110020
CIN- L15249UP1933PLC000511, **फोनः** 011- 41259400
ई–मेल आईडीः investordesk@dhampursugar.com
वेबसाइटः www.dhampursugar.com

शेयधारकों के लिए सूचना
भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल करने के लिए विशेष विंडो

सेबी ने अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी–पीओडी/पी/सीआईआर/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के माध्यम से 1 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले दाखिल किए गए और दस्तावेजों में कमी के कारण अस्वी.त/वापस किए गए भौतिक शेयरों के अनुरोध के हस्तांतरण को पुनः दाखिल करने की सुविधा के लिए एक विशेष विंडो खोलने की अनुमति दी है।

विवरण निम्नानुसार हैः

पुनः दाखिल करने की विंडो	07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026
हस्तांतरण अनुरोध कौन पुनः दाखिल कर सकता है	ऐसे निवेशक जिनके हस्तांतरण विलेख भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए 1 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले जमा किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्यथा किसी कमी के कारण अस्वीकार/वापस कर दिए गए/स्वीकार नहीं किए गए।
हस्तांतरण अनुरोध पुनः दाखिल कैसे करें	मूल हस्तांतरण अनुरोध संशोधित या छूटे हुए विवरणों के साथ निम्नलिखित पते पर जमा करें: रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)– अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (यूनिटः धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड) पताः 4ई/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली –110055, ईमेलः rta@alankit.com, investordesk@dhampursugar.com

इस अवधि के दौरान हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल की जाने वाली प्रतिभूतियाँ केवल डीमैट मोड में जारी की जाएंगी। आरटीए के पास हस्तांतरण अनुरोध पुनः दाखिल करते समय निवेशक के पास एक डीमैट एकाउंट होना चाहिए और उसे हस्तांतरण दस्तावेज़ों, शेयर प्रमाणपत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ों के साथ अपनी क्लाइंट मास्टर लिस्ट भी उपलब्ध करानी होगी।

कृते धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड
हस्ता./–
अपर्णा गोयल
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2025

शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालयः तीसरा तल, एडीडी इंडिया टॉवर, सेक्टर 125, नोएडा–201303
सीआईएनः U65900DL2020PLC366027

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8(1)

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लि. पूर्ववर्ती शिवालिक मर्केन्टाइल कॉ–आपरेटिव बैंक लि. के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **ऋण खाता सं. 101541006872, 101541002539** में मांग सूचना दिनांकित **30.04.2025** जारी की थी जिसमें **1. श्री शिव कुमार शर्मा (कर्जदार/बंधककर्ता) निवासी मकान नं. बी–185 न्यू पंचवटी कॉलोनी नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001, 2. श्रीमती सरीता शर्मा (सह–कर्जदार) निवासी मकान नं. बी–185 न्यू पंचवटी कॉलोनी नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001, 3. श्री केशव देव शर्मा पुत्र स्व. श्री प्यारे लाल शर्मा (जमानती) निवासी मकान नंबर बी–186, न्यू पंचवटी कॉलोनी नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001, 4. श्री पंकज शर्मा पुत्र हरदत्त शर्मा (जमानती) निवासी मकान नं. सी 60, नेहरू नगर तीसरी मंजिल एफ ब्लॉक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 प्रवेश कुमार (जमानती) निवासी मकान नं. गाँव सलारपुर भंगेल नोएडा उत्तर प्रदेश 201301** से सूचना में उल्लिखित राशि रु. 4,10,000/– (रुपये चार लाख दस हजार मात्र) को उक्त मांग सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया। कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार(ओं) और सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्तियों का 28 जुलाई, 2025 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार(ओं) और सामान्य रूप में सर्व साधारण को संपत्ति से कोई लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन–देन राशि **रु. 4,10,000/– (रुपये चार लाख दस हजार मात्र)** और इस पर ब्याज के लिए शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लि. के प्रभार के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय में मुक्त कराने के लिए कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति पर न्यायसंगत बंधनः फ्रीहोल्ड प्लॉट, क्षेत्रफल माप 87.79 वर्ग मीटर, प्लॉट संख्या 185, खसरा संख्या 1336, गाँव न्यू पंचवटी कॉलोनी, ब्लॉक बी, गाँव डूंडा हेडा, तहसील व जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, शिव कुमार शर्मा के नाम में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 668, पृष्ठ संख्या 349–372, सिरीज संख्या 5389, दिनांकित 15–06–2006 के राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत।

सीमाएँ:–

उत्तरः	प्लॉट नं. 186	**दक्षिणः**	प्लॉट नं. बी 184ए
पश्चिमः	अन्य प्लॉट	**पूर्वः**	रोड

दिनांकः 28.07.2025
स्थानः गाजियाबाद
हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लि.

FORM NO. 14 [See Regulation 33(2)]

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR
1st Floor, Sudharma-II, Lal Kothi Shopping Centre, Tonk Road, Jaipur-302015

DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961.

RC/325/2023 Next Date : 29.07.2025

STATE BANK OF INDIA
V/S

To, **SH. HARIKISHAN BISHNOI**
(CD1) SH. HARIKISHAN BISHNOI S/O. MISHRURAM, through its Legal Heirs
(A) SMT. KESAR DEVI W/O. HARIKISHAN BISHNOI
(B) SH. BAJRANGLAL S/O. HARIKISHAN BISHNOI
(C) SH. RAM DEV S/O. HARIKISHAN BISHNOI
(D) SH. OM PRAKASH S/O. HARIKISHAN BISHNOI
(E) SH. JAIPAL S/O. HARIKISHAN BISHNOI
(F) MANSUTI D/O. HARIKISHAN BISHNOI
ALL R/O. House No. 511, Village Janglu, Tehsil Nokha, Distt. Bikaner (Raj.) 334803
(CD2) SH. BAJRANGLAL S/O. SH. HARIKISHAN BISHNOI,
R/O. Ward No. 11, Beniwalon Ka Bas, Village Janglu, Tehsil Nokha, Distt. Bikaner (Raj.) 334803

This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JAIPUR in **OA/640/2022** an amount of **Rs. 35,54,081/- (THIRTY FIVE LAC FIFTY FOUR THOUSAND EIGHTY ONE ONLY)** and interest thereon as per Recovery Certificate is due against you.

1. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.
2. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing.
3. You are hereby ordered to appear before the undersigned on **29.07.2025** at 10.30 a.m. for further proceedings.
4. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:

a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate / execution proceedings.
b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

DETAILS OF AMOUNT MENTIONED IN THE RECOVERY CERTIFICATE DUE AGAINST YOU

1. Recover Certificate amount	Rs. 35,54,081/-
2. Cost of the suit	Rs. 37,428/-
3. Interest from 17.05.2022 to 14.09.2023 @ 15.15% p.a	Rs. 7,16,940.9/-
4. Total Cost	Rs. 43,08,449,9/-

NOTE: Subject to payment/receipt, if any, made during pendency of OA or Recovery, if any, made by way of auction under SARFAESI. Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: 25.06.2025.

Seal
Recovery Officer
Debts Recovery Tribunal, Jaipur

डीसीबी बैंक लिमिटेड

डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

DCB BANK

मांग नोटिस

सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत

आप अधोल्लिखित कर्जदार(ओं), सह–कर्जदार(ओं) ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभूतियों) के बंधन द्वारा डीसीबी बैंक लिमिटेड से ऋण सुविधा(एँ) प्राप्त की हैं। आपकी चूकों के फलस्वरूप आपके ऋण अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए गए थे। बकाया देयों की वसूली के लिए डीसीबी बैंक लिमिटेड ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया था जिसकी अंतर्वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित धारा 13(2) के अनुसार आपको सर्विस के द्वारा यहाँ प्रकाशित की जा रही हैं। कर्जदारों, सह–कर्जदारों, बंधक संपत्तियों, बकाया देयों, धारा 13(2) के तहत भेजी गए मांग नोटिस और इसके तहत दावित राशि का विवरण निम्नवत् हैः

क्र. सं.	कर्जदार, सह–कर्जदार/जमानती के नाम और पते, ऋण खाता सं., ऋण राशि	प्रत्याभूत संपत्ति का पता	1) मांग नोटिस की तारीख 2) बकाया देय 3) एनपीए की तारीख
1	1. मेसर्स संतोष एंटरप्राइजेज (अपने स्वामी स्वर्गीय श्री नारायण कुमार सोनी (अब दिवंगत) के माध्यम से, कानूनी उत्तराधिकारी श्रीमती संतोष सोनी, श्रीमती मोनिका सोनी और श्री ओमकार सोनी द्वारा प्रतिनिधित्व, 2. श्रीमती संतोष सोनी पत्नी स्वर्गीय श्री नारायण कुमार सोनी (सह–कर्जदार और दिवंगत श्री नारायण कुमार सोनी के कानूनी उत्तराधिकारी), 3. श्रीमती मोनिका सोनी पुत्री स्वर्गीय श्री नारायण कुमार सोनी (दिवंगत श्री नारायण कुमार सोनी की कानूनी उत्तराधिकारी), 4. श्री ओमकार सोनी पुत्र स्वर्गीय श्री नारायण कुमार सोनी (दिवंगत श्री नारायण कुमार सोनी के कानूनी उत्तराधिकारी) **सभी का पता–** IX/5816 एफ/एफ, पुराना नंबर 596/4–ए/7ए गली नंबर 3 रघुबरपुरा नंबर 2, सुभाष मोहल्ला गाँधी नगर, दिल्ली– 110031 **ऋण खाता संख्या–** 30942600000213 **संस्वीकृत ऋण राशिः** ₹ 49,41,000/–	संपत्ति फ्लैट संख्या एसएफ–2, दूसरी मंजिल, (छत अधिकार के बिना) कवर्ड एरिया 900 वर्ग फुट यानी 83.61 वर्ग मीटर फ्रीहोल्ड प्लॉट संख्या 14 पर निर्मित, ब्लॉक–बी, सेक्टर संख्या 12 टी.एच.ए. आवासीय कॉलोनी रामप्रस्थ गाजियाबाद हदबस्त ग्राम महाराजपुर परगना लोनी तहसील जिला गाजियाबाद के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ निम्नवत् हैं– पूर्व– प्लॉट संख्या– 90 और 91, पश्चिम– 80 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर– प्लॉट संख्या 15, दक्षिण– प्लॉट संख्या 13	1) 26–06–2025 2) 24 जून, 2025 तक रु. 32,32,026.54/– (रुपये बत्तीस लाख बत्तीस हजार छब्बीस और चौबन पैसा मात्र) **3) एनपीए की तारीख–** 15–04–2025
2	1. श्री महराजुद्दीन, 2. श्रीमती शबनम, **सभी का पता–** 776 मोहल्ला मुन्ना लाल, नाले के पास, मवाना, मेरठ 250401 **ऋण खाता संख्या–** DRHLMEE00585068 **संस्वीकृत ऋण राशिः** ₹ 13,65,071/–	मकान एमपीएल संख्या 862/7, माप 50 वर्ग गज, खसरा संख्या 1886, मवाना परगना हस्तिनापुर और तहसील मवाना, जिलाः मेरठ के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ:– पूर्व की ओरः चांद खां का प्लॉट, पश्चिम की ओरः रोड, उत्तर की ओरः मोहसीना का मकान, दक्षिण की ओरः शेरू धोबी का मकान	1) 05–07–2025 2) 01 जुलाई, 2025 तक रु. 14,47,665/– (रुपये चौदह लाख सैंतालीस हजार छह सौ पैंसठ मात्र) **3) एनपीए की तारीख–** 04–04–2025
3	1. श्री मोहम्मद फिरोज़, 2. श्री मोहम्मद नाज़िम, 3. श्रीमती रानी बेगम, 4. श्री सादिक सादिक **सभी का पता–** बुर्ज उस्मान खान खुर्जा बुलन्दशहर–203131 **ऋण खाता संख्या–** DRBLALI00611896 **संस्वीकृत ऋण राशिः** ₹ 10,00,000/–	मकान नंबर 977 (1/2), माप 84.15 वर्ग मीटर, मौजा कस्बा खुर्जा अंदर चुंगी, मोहल्ला वुर्ज उस्मान खान खुर्जा परगना और तहसील खुर्जा, जिलाः बुलंदशहर के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ:– पूर्व की ओरः हकीमुद्दीन का प्लॉट, पश्चिम की ओरः यशपाल का प्लॉट, उत्तर की ओरः हसीना बेगम का प्लॉट, दक्षिण की ओरः सड़क	1) 05–07–2025 2) 01 जुलाई, 2025 तक रु. 10,66,506/– (रुपये दस लाख छियासठ हजार पाँच सौ छह मात्र) **3) एनपीए की तारीख–** 04–04–2025
4	1. श्री मोहम्मद दानिश, 2. श्रीमती ऐमन सगीर **सभी का पता–** मकान संख्या 4/899 नगला रोड एक मीनार मस्जिद दोधपुर अलीगढ़– 202001 **ऋण खाता संख्या–** DRHLALI00612035 **संस्वीकृत ऋण राशिः** ₹ 27,64,350/–	प्लॉट माप 150 वर्ग गज जिसका खेत खसरा संख्या 515, मौजा मंजूरगढ़ परगना तहसील कोल जिला अलीगढ़ के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ:– पूर्व की ओरः मोहम्मद मुजस्सिम खान का प्लॉट, पश्चिम की ओरः मतीन खान, उत्तर की ओरः मतीन खान की जमीन, दक्षिण की ओरः सड़क	1) 05–07–2025 2) 01 जुलाई, 2025 तक रु. 23,37,306/– (रुपये तेईस लाख सैंतीस हजार तीन सौ छह मात्र) **3) एनपीए की तारीख–** 04–04–2025

आप कर्जदार/ओं और सह–कर्जदारों/जमानतियों को उपरोक्त मांग राशि का यहाँ उल्लिखित आगे की ब्याज सहित इस नोटिस के 60 दिनों के अंदर पूर्ण भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा उपरोक्त प्रतिभूतियों का प्रवर्तन करने के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई करने हेतु अधोहस्ताक्षरी बाध्य होगा। आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा आप उपरोक्त प्रावधान में निर्धारित अवधि के अंदर प्रत्याभूत परिसंपत्ति को मुक्त कराने के लिए स्वतंत्र हैं। कृपया नोट करें उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आप बिना हमारी सहमति के बिक्री, पट्टे या अन्य किसी भी तरीके से उपर्युक्त बतायी प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने से निषिद्ध होंगे।

दिनांकः 29.07.2025
स्थानः गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़
कृते डीसीबी बैंक लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी

DHAMPUR
Legacy for tomorrow

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः धामपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर–246761, यु.पी
कॉर्पो कार्यालयः 6वीं मंजिल, मैक्स हाउस, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज III, नई दिल्ली–110020
CIN- L15249UP1933PLC000511, **फोनः** 011- 41259400
ई–मेल आईडीः investordesk@dhampursugar.com
वेबसाइटः www.dhampursugar.com

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित होने वाली नब्बेवीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

एतद्द्वारा **सूचित** किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथासंशोधित ("सूचीबद्धता विनियम") के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के साथ पठित इसके सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के साथ पठित समय–समय पर जारी किए गए अनुवर्ती परिपत्रों, नवीनतम सामान्य परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 ("एमसीए परिपत्र") और स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडीपीओडी–2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की **90वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरूवार, 28 अगस्त, 2025 को अप. 3:00 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी। 90वीं एजीएम के लिए मान्य स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की ई–मेल के माध्यम से सेवाः

उपरोक्त वर्णित परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण के साथ एजीएम के आयोजन की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर भेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते कंपनी/मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (''आरटीए'') और डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) (''डीपी'') के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता एमसीए एवं सेबी के उपरोक्त वर्णित परिपत्रों के माध्यम से हटा दी गई है। तथापि, वार्षिक रिपोर्ट के साथ 90वीं एजीएम के आयोजन की सूचना की भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जो investordesk@dhampursugar.com पर इसके लिए अनुरोध करेंगे। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.dhampursugar.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (www.nseindia.com) तथा एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध होंगी।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एवं एजीएम में प्रतिभागिताः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सूचीयन विनियम के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसरण में सदस्यों के पास रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज पर अपना वोट रिमोटली देने का अवसर होगा।

रिमोट ई–वोटिंग

कंपनी अपने सभी सदस्यों को 90वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई–वोटिंग") प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली ("ई–वोटिंग") के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। एजीएम में शामिल होने और रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया 90वीं एजीएम की सूचना में प्रदान की जा रही है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

ई–मेल पता पंजीकरण/अपडेट कराने की प्रक्रियाः

कंपनी के सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, वे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके उसे पंजीकृत करा सकते हैं:

- भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण फॉर्म में वर्णित आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने केवाईसी विवरण (यदि पहले जमा नहीं किये हैं) अपडेट कराने के लिए फॉर्म–आईएसआर 1 (कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) को विधिवत् भरकर एवं हस्ताक्षरित करके उसे हमारे आरटीए मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055, ई–मेल rta@alankit.com के पास जमा करके अपना ई–मेल आईडी पंजीकृत करा सकते हैं।
- डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण अपना डिमेट खाता विवरण (सीडीएसएल–16 अंक लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल–16–अंक डीपीआईडी+सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित लेखा विवरण की प्रति, पैन कार्ड (स्व–सत्यापित प्रति), आधार कार्ड (स्व–सत्यापित प्रति) उपलब्ध कराते हुए कंपनी को investordesk@dhampursugar.com/ पर आरटीए ई–मेल आईडी rta@alankit.com पर भेजकर अपना ई–मेल आईडी अस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं या लिंक https://mailupd.alankit.com पर जाएं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई–मेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास इसे पंजीकृत कराएं।

बैंक विवरण पंजीकरण/अपडेट कराने की प्रक्रियाः

डीमैट मोड में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पूरे बैंक खाते का विवरण दर्ज करें और भौतिक मोड में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण, स्वप्रमाणित पैन कार्ड और मूल रद्द चेक के साथ विधिवत् हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र कंपनी को investordesk@dhampursugar.com या कंपनी के आरटीए को rta@alankit.com पर भेजना होगा। मूल रद्द किए गए चेक पर पहले शेयरधारक का नाम न होने की स्थिति में रद्द किए गए चेक के साथ मूल रूप में बैंक पासबुक/खाता विवरण के पहले पृष्ठ की बैंक सत्यापित प्रति प्रदान की जानी चाहिए।

बुक क्लोज़र

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के प्रयोजन हेतु 22 अगस्त 2025 से 28 अगस्त, 2025 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।

यह सूचना एमसीए एवं सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी एवं लाभ के लिए जारी की जा रही है।

कृते धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड
हस्ता./–
अपर्णा गोयल
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28.07.2025

EICHER

EICHER MOTORS LIMITED

CIN : L34102DL1982PLC129877
पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 1111, 11वां तल, अशोका एस्टेट, प्लॉट नंबर 24, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001,
फोन : +91 11 41095173
कार्पोरेट कार्यालय : #96, सेक्टर–32, गुरुग्राम - 122001, हरियाणा
फोन : +91 124 4445070
ई-मेल : investors@eichermotors.com
वेबसाइट : www.eichermotors.com

43वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आयशर मोटर्स लिमिटेड (कम्पनी") के सदस्यों की 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम), एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय मदों के निष्पादन हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, तदधीन विरचित नियमों, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के साथ पठित एमसीए और सेबी द्वारा इस संबंध में जारी किए गए सर्कुलर्स के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से, बृहस्पतिवार, 21 अगस्त, 2025 को अप. 01.00 बजे आईएसटी आयोजित की जानी निर्धारित है।

कम्पनी, जिन सदस्यों की ई–मेलआईडी'ज कम्पनी अथवा डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत है, उनको 43वीं एजीएम की सूचना के साथ 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, ई–मेल (एनएसडीएल का उपयोग करते हुए) के माध्यम से भेजने का कार्य 28 जुलाई, 2025 को पूर्ण कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी की वेबसाइट के सटीक पथ सहित वेब–लिंक, जहां 43वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट देखी जा सकती है, के उल्लेखयुक्त एक पत्र भी, उन शेयरधारकों को भेजा गया है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत नहीं है।

कम्पनी इसके सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय मदों पर अपने वोट के अधिकार के प्रयोग हेतु किसी भी स्थान से वोट डालने की सुविधा, एनएसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("ई–वोटिंग") के माध्यम से प्रदान कर रही है। कम्पनी के सदस्य, जो कट–ऑफ तिथि 14 अगस्त, 2025 को भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं, ई–वोटिंग (एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सहित) द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। ई–वोटिंग द्वारा वोट डालने हेतु अनुदेश और ढंग, उन सदस्यों द्वारा सहित जो भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं अथवा जिनके द्वारा अपनी ई–मेल आईडी'ज पंजीकृत नहीं करवाई गई हैं, एजीएम की सूचना में दिया गया है। ई–वोटिंग अवधि 18 अगस्त, 2025 (प्रातः 09.00 बजे आईएसटी) आरंभ होगी तथा 20 अगस्त, 2025 (सायं 05.00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी। तदुपरांत एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा उक्त तिथि और समय के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। एजीएम में भी ई–वोटिंग की सुविधा एजीएम के दिन अर्थात 21 अगस्त, 2025 को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे सदस्य जिनके द्वारा अपना वोट ई–वोटिंग के द्वारा 20 अगस्त, 2025 तक नहीं डाला गया है वे अपना वोट, एजीएम के दौरान, अपने उन्हीं ई–वोटिंग क्रेडेंशियल्स का प्रयोग करते हुए डाल सकते हैं। सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके होने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, परंतु उसे एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर हासिल करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि अर्थात 14 अगस्त, 2025 को शेयरधारक है, **evoting@nsdl.com** तथा **AGM@eichermotors.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई सदस्य एनएसडीएल ई–सर्विसेज अर्थात आईडीईएएस के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह अपनी विद्यमान आईडीईएएस लॉगइन द्वारा **https://eservices.nsdl.com/** पर लॉगइन कर सकता है। यदि सदस्य अपना पासवर्ड भूल गया है, तो वह एजीएम सूचना में दिए गए रिमोट ई–वोटिंग हेतु अनुदेशों का पालन करते हुए अपना पासवर्ड दोबारा सेट कर सकता है।

सदस्यगण, जिनके द्वारा अपनी ई–मेल आईडीज/बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनसे अनुरोध है कि एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार ऐंड शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, के पोर्टल **https://web.in.mpms.mufg.com/KYC/index.html** पर जाएं और अपना विवरण पंजीकृत करवाएं तथा जो डीमैट रूप में शेयर धारण किए हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करें।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के साथ संबंधित किसी संदेह की स्थिति में, कृपया **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड्स सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू'ज) तथा सदस्यों के लिए ई–वोटिंग यूज़र मैनुअल देखें अथवा एनएसडीएल से टेलीफोनिक नंबर : 022 – 4886 7000 पर कॉल करें अथवा **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेजें। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के साथ संबंधित किसी शिकायत हेतु सदस्यगण सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सीनियर मैनेजर, एनएसडीएल से **evoting@nsdl.com** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

43वीं एजीएम की उपरोक्त सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.eichermotors.com** स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई और एनएसई की वेबसाइट **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** क्रमानुसार पर उपलब्ध है तथा सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है। उपरोक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाइट तथा स्टॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

वास्ते **आयशर मोटर्स लिमिटेड**
हस्ता./–
अतुल शर्मा
कम्पनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी

तिथि : 28 जुलाई, 2025
स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा

एनटीपीसी NTPC GREEN

NTPC Green Energy Limited

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	Standalone: Quarter ended 30.06.2025 (Unaudited)	Standalone: Quarter ended 31.03.2025 (Audited)#	Standalone: Quarter ended 30.06.2024 (Audited)	Standalone: Year ended 31.03.2025 (Audited)	Consolidated: Quarter ended 30.06.2025 (Unaudited)	Consolidated: Quarter ended 31.03.2025 (Audited)#	Consolidated: Quarter ended 30.06.2024 (Audited)	Consolidated: Year ended 31.03.2025 (Audited)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total income from operations	560.33	548.64	544.37	2,022.54	680.21	622.27	578.45	2,209.64
2	Profit before tax	221.84	278.93	175.69	667.77	277.10	307.02	183.44	652.63
3	Profit after tax	165.22	205.12	130.86	489.26	220.48	233.21	138.61	474.12
4	Profit after tax attributable to owners of the parent company					220.48	233.22	138.61	475.48
5	Profit after tax attributable to non-controlling interest					–	(0.01)	–	(1.36)
6	Total comprehensive income after tax	165.22	205.12	130.86	489.26	220.48	233.21	138.61	474.12
7	Paid-up equity share capital (Face value of share ₹ 10/- each)	8,426.33	8,426.33	5,719.61	8,426.33	8,426.33	8,426.33	5,719.61	8,426.33
8	Other equity excluding revaluation reserve as per balance Sheet				10,060.17				10,014.01
9	Earnings per equity share (of ₹ 10/- each) - (not annualised) : Basic and Diluted (in ₹)	0.20	0.24	0.23	0.69	0.26	0.28	0.24	0.67

Figures of last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the previous financial year.

Notes:

1. The above is an extract of the detailed formats of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The complete financial results are accessible on the company's website at following link **https://ngel.in/page/financial-results** and in the Corporate Section of BSE Limited (https://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited **(https://www.nseindia.com)**. They can also be accessed by scanning the Quick Response Code given below.
2. Previous periods figures have been reclassified wherever considered necessary.

For and on behalf of Board of Directors of
NTPC Green Energy Limited
Sd/-
(Jaikumar Srinivasan)
Director (Finance)
DIN:01220828

Place: New Delhi
Date: 28 July 2025

NTPC Green Energy Limited
(Subsidiary of NTPC Ltd.)
@ntpcgreen1 @NTPC_Green @ntpcgreen

Regd Office: NTPC Bhawan, Core-7, SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110003 • CIN : L40100DL2022GOI396282 • Email: ngel@ntpc.co.in • Website : www.ngel.in